न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (SC/ST), खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–147/2026
खगड़िया SC/ST थाना काण्ड सं0–64/13

टून्ना सिंह उर्फ अविनाश कुमार एवं अन्य – बनाम् – राज्य

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्या0 प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (SC/ST),
खगड़िया।

11.03.2026

आवेदक/अभियुक्तगण **1. टून्ना सिंह उर्फ अविनाश कुमार एवं 2. कन्हैया सिंह उर्फ कृष्णमोहन सिंह** की ओर से खगड़िया SC/ST थाना काण्ड सं0–64/13, धारा–342, 323, 504, 506, 379/34 भा0द0वि0 एवं 3(1)(x) SC/ST अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामले में दाखिल आत्मसमर्पण–सह–जमानत को उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री आजाद ठाकुर के द्वारा संचालित किया गया। पुकार पर आवेदक अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित हुए, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन यह है कि आवेदकगण निर्दोष है तथा उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक की ओर से अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक सं0–1 का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा आवेदक सं0–2 के विरूद्ध अन्य एक मामला दर्ज है। आवेदकगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–342, 323, 504, 506/34 भा0द0वि0 एवं 3(1)(x) SC/ST अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान लिया जा चुका है। आवेदकगण के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है तथा उन्हें पुलिस के द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा–41(i) के तहत लाभ दिया गया है। आवेदकगण को आज तक कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ है तथा कथित अपराध में आवेदकगण की कोई सहभागिता नहीं है। आवेदकगण मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं तथा फरार नहीं होंगे। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत की सुविधा का लाभ दिये जाने का निवेदन करते हैं।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक की ओर से जमानत का विरोध किया गया।

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (SC/ST), खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–147/2026
खगड़िया SC/ST थाना काण्ड सं0–64/13

लगातार
11.03.2026

सूचक के लिखित आवेदनानुसार, अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि सूचक दिनांक 23.06.2013 को समय छह बजे बहियार से गुलर की डाल लेकर आ रहा था तो टून्ना सिंह, कन्हैया सिंह उसे रोक कर बोला कि लकड़ी कहाँ से ला रहा है? सूचक ने बताया कि मियां गाछी से लेकर आ रहे हैं, उसके बाद दोनों व्यक्ति गाली देते हुए बोला कि साले मुसहर, लकड़ी यहीं पर रखो, चलो दारू पिलाओ। सूचक बोला कि पैसे नहीं है, इतना कहते ही दोनों व्यक्ति लप्पड़–थप्पड़ से मारपीट करने लगे तथा उसे पकड़ कर अपने गाँव लाये। टून्ना सिंह अपने दरवाजे पर सूचक को पाया में बांध कर बुरी तरह मारपीट किया और बांध कर अपने दरवाजे पर रखे रहा। करीब 8–9 बजे रात को सूचक के पिता एवं अन्य लोग आये तो छुड़ा कर लाये। मारपीट के क्रम में दोनों व्यक्तियों ने सूचक के जेब से 800/– रू0 छीन लिये तथा धमकी दिया गया कि माधरचोद मुसहर कहीं गया, तो जान से मारकर फेक देंगे।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि इस अपराधिक वाद में आवेदकगण के विरूद्ध विद्वान् मुख्य न्या0 दण्डा0, खगड़िया द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2014 के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला बनता पाकर अंतर्गत धारा–342, 323, 504, 506/34 भा0द0वि0 एवं 3(1)(x) SC/ST अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान लिया जा चुका है, इसलिए साक्ष्य के साथ छेड़–छाड़ की संभावना प्रतीत नहीं होती है। तथाकथित घटना 23.06.2013 की है, जबकि प्राथमिकी काफी विलम्ब से दिनांक 02.07.2013 को दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई उचित कारण नहीं बताया गया है। काण्ड दैनिकी की कंडिका–31 एवं 32 के अनुसार, आवेदकगण को पुलिस द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा–41(i) का लाभ देते हुए बंध–पत्र पर मुक्त किया गया है। आवेदकगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण आज न्यायालय में स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया है तथा इनके विरूद्ध आज मामले में आरोप का गठन कर लिया गया

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (SC/ST), खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–147/2026
खगड़िया SC/ST थाना काण्ड सं0–64/13

लगातार
11.03.2026

है, ऐसी दशा में उसे **Cost** के साथ जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए **आवेदक/अभियुक्तगण को मो0–1,000–1000/–(एक–एक हजार) रूपये प्रत्येक के द्वारा Cost के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खगड़िया में जमा करने के निर्देश के साथ**, मो0–10,000/–(दस हजार) रूपये राशि के दो समान प्रतिभूओं के द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल किये जाने एवं जाँचोपरांत, सही पाये जाने पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि **आवेदक/अभियुक्तगण का दोनों जमानतदार उनके परिवार के निकट संबंधी होंगे।**

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अपर सत्र न्या0 प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (SC/ST),
खगड़िया।

Date of Judgement/Order	11.03.26
Date of Reserving Judgement/Order	—
Uploading Date	28.03.26
Uploading by	Nikhil Kumar (28.03)